

राजस्थान सरकार
कार्मिक (क-1/गो0प्र0) विभाग

क्रमांक प. 13(76) कार्मिक/क-1/गो.प्र./2011 जयपुर,दिनांक: 13 MAR 2019


--:परिपत्र--

विषय:- समस्त राजपत्रित अधिकारियों द्वारा अपना अचल सम्पत्ति विवरण को स्वयं के SSO-ID से लॉग इन कर राज-काज सॉफ्टवेयर में IPR MODULE द्वारा ऑन-लाईन IPR भरने के सम्बन्ध में।

इस विभाग द्वारा जारी परिपत्र दिनांक 31.12.2018 के द्वारा राज्य में कार्यरत समस्त राजपत्रित अधिकारियों को वर्ष 2018 (1 जनवरी 2019 की स्थिति में) का अपना अचल सम्पत्ति विवरण SSO-ID से राज-काज सॉफ्टवेयर पर 31 जनवरी तक अनिवार्य रूप से भरे जाने थे।


जिन राजपत्रित अधिकारियों ने वर्ष 2018 (01 जनवरी 2019 की स्थिति में) का अपना अचल सम्पत्ति विवरण ऑन लाइन नहीं भरा है। उन राजपत्रित अधिकारियों को एक अंतिम अवसर देते हुए राजकाज सॉफ्टवेयर पर अपना अचल सम्पत्ति विवरण भरने के संबंध में 30 अप्रैल 2019 तक समय सीमा बढ़ाई जाती है।

अंतिम अवसर 30 अप्रैल 2019 तक प्रदान करने के बावजूद भी जो राजपत्रित अधिकारी अपना अचल सम्पत्ति विवरण अपलोड नहीं करते हैं, तो उन राजपत्रित अधिकारियों की देय वार्षिक वेतन वृद्धि, पदोन्नति एवं विजिलेंस क्लीयरेंस स्वीकृत नहीं की जावेगी।


(रोली सिंह)
प्रमुख शासन सचिव 12/3/19


प्रतिलिपि निम्नांकित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित है:-

1. प्रमुख सचिव, महामहिम राज्यपाल महोदय।
2. प्रमुख सचिव, माननीय मुख्यमंत्री महोदय।
3. वरिष्ठ उप सचिव, मुख्य सचिव।
4. समस्त अति. मुख्य सचिव/प्रमुख शासन सचिव/शासन सचिव/संयुक्त शासन सचिव/उप शासन सचिव।
5. समस्त विशिष्ट सहायक/निजी सचिव मंत्री/राज्य मंत्री/संसदीय सचिव।
6. समस्त संभागीय आयुक्त।
7. समस्त विभागाध्यक्ष (जिला कलेक्टरों सहित)
8. प्रशासनिक सुधार (कोर्डिनेफिकेशन) विभाग अनुभाग-7 कापियों सहित।
9. एनालिसट-कम-प्रोग्रामर, कार्मिक (कम्प्यूटर) विभाग।
10. तकनीकी निदेशक, सूचना प्रौद्योगिकी एवं संचार विभाग।


संयुक्त शासन सचिव

प्रतिलिपि निम्नलिखित को भी प्रेषित है :-

1. सचिव, राजस्थान विधान सभा जयपुर।
2. सचिव, राजस्थान लोक सेवा आयोग, अजमेर।
3. पंजीयक, राजस्थान उच्च न्यायालय, जोधपुर।
4. अतिरिक्त पंजीयक, राजस्थान उच्च न्यायालय जयपुर पीठ, जयपुर।
5. सचिव, लोकायुक्त सचिवालय, जयपुर।
6. पंजीयक राजस्थान सिविल सेवा अपील न्यायाधिकरण जयपुर।
7. निबन्धक, राजस्व मण्डल, अजमेर।
8. समस्त राजस्व अपील अधिकारी, अतिरिक्त कलेक्टर, उपखण्ड अधिकारी, सहायक कलेक्टर राजस्थान।
9. रक्षित पत्रावली।


संयुक्त शासन सचिव